



राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक: एफ5(3)प्राशनि/ई-2/2024-25/

दिनांक:

प्रधानाचार्य,
राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषय: प्रथम वर्ष 2023-24 में प्रवेशित तथा प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

1. प्रथम वर्ष 2023-24 में प्रवेशित तथा प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों ही शाखा परिवर्तन के पात्र होंगे।
2. शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र (Format : BRC-1) एवं अन्य दिशा निर्देश इस पत्र के संलग्न किये जा रहे हैं तथा विभागीय वेबसाइट <http://dte.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। इनका प्रिन्ट आउट लेकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवेदन पत्र की प्रतियां प्रिन्ट आउट निकाल कर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।
3. पार्श्व प्रवेश सत्र 2024-25 हेतु तैयार की गई सीटों की स्थिति (दिनांक 30.04.2024 तक) के पश्चात् ब्रांचवार Drop out तथा प्रथम वर्ष 2023-24 के परिणाम उपरान्त Not Promoted विद्यार्थियों की संख्या को सम्मिलित करते ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावें। साथ ही ये भी ध्यान में रखा जावें की पहले Not Promoted विद्यार्थियों की संख्या पर तदुपरान्त Drop out की संख्या पर शाखा परिवर्तन किया जायेगा।
4. उक्त प्रकार से शाखा परिवर्तन उपरान्त रिक्त रही Drop out की सीटों को सीधे प्रवेश हेतु सम्मिलित किया जाये। अर्थात् संयोजक द्वितीय वर्ष (पार्श्व प्रवेश) द्वारा उपलब्ध करवाई गयी रिक्त सीटों में शेष रही Drop out की सीटों को जोड़कर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश किये जाये। संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश के लिए दिनांक 17.08.2024 तक सीटों की स्थिति प्रदर्शित करे तथा दिनांक 20.08.2024 से 23.08.2024 तक संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार रहेगी:-
 - a. शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2024 से 13.08.2024 तक आमंत्रित किये जावे।
 - b. संस्था स्तर पर एक समिति का गठन कर नियमानुसार शाखा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 14.08.2024 को संस्थान में सम्पन्न की जावे।
 - c. शाखा परिवर्तन Format: BRC-2 to 4 के अनुसार सूचियाँ निदेशालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 16.08.2024 को दोपहर 12 बजे तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में ई-मेल dte_raj@rajasthan.gov.in पर हस्ताक्षरित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जावे। ई-मेल के विषय में "Proposals for branch change" अंकित किया जावे। निर्धारित तिथि/अवधि के पश्चात् प्राप्त पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा। यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर, परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवाया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा परिवर्तित शाखा के अनुसार परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में यदि विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी।

संलग्न: - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांक: एफ5(3)प्राशनि/ई-2/2024-25/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करें, साथ ही समस्त राजकीय/निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें



Signature valid

Digitally signed by Anshu Kumar
Designation : Director
Date: 2024.08.10 17:56:25 IST
Reason: Approved



निदेशक, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प.17(24)त.शि./2001 दिनांक 17.12.2005 के आधार पर
अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत दिशा निर्देश के आधार
पर ब्रांच परिवर्तन के नियम के अंश निम्नानुसार है।

3. ब्रांच स्थानान्तरण

- (क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
- (ख) तृतीय सेमेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानान्तरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परिक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।
- (ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची, अभ्यर्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राएँ ब्रांच के स्थानान्तरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होंने प्रथम वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सभी विषय उत्तीर्ण किये हो। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
- (घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव होंगे:—
- (1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होगी।
- (2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण सम्भव होंगे।
- (ङ) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन-इन्जिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।
- (च) यदि किन्ही दो विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष के अंक, आरक्षण श्रेणी भी समान हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के समस्त अंकों के योग के आधार पर मैरिट का निर्धारण कर शाखा परिवर्तन किया जावेगा। सैद्धान्तिक परिक्षा के समान अंक होने पर प्रायोगिक के अंकों के योग को देखा जायेगा। प्रायोगिक अंक भी समान होने पर सैशनल अंकों के योग के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त समस्त तीनों अंक भी समान होने की स्थिति में विद्यार्थियों के 10^{वाँ} के कुल अंकों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 11(5)त.शि./2002 पार्ट जयपुर दिनांक 07.12.2016 के अनुसार नवीन बिन्दु (च) जोड़ा गया।)

RajKaj Ref
9695707

Signature valid

Digitally signed by Anshu Kumar
Sahgal
Designation : Director
Date: 2024.08.10 17:56:25 IST
Reason: Approved

शाखा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र

(सत्र 2024-25)

(पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नामांकित एवं प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

(यह प्रार्थना पत्र संस्थान स्तर पर उपयोग हेतु ही है, इसे निदेशालय नहीं भेजा जावे)

| | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | संस्थान का नाम | |
| 2. | छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) | |
| | (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) | |
| 3. | पिता का नाम | |
| 4. | स्थायी पता | |
| 5. | छात्र/छात्रा का वर्ग | |
| 6. | नामांकन संख्या (SPN no.) | / |
| 7. | डिप्लोमा प्रथम वर्ष का परिणाम | कुल प्राप्तांक..... प्रतिशत |
| 8. | वर्तमान ब्रांच | (SFS/GAS) |
| 9. | ब्रांच जिसमें जाना चाहते हैं | (SFS/GAS) |

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शाखा परिवर्तन हेतु मैंने अपने पिता/अभिभावक से अनुमति प्राप्त कर ली है एवं शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने पर उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकेगा तथा मेरे द्वारा आदेश की पालना की जायेगी।

दिनांक

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- छात्र के प्रार्थना पत्र की जांच कर ली गई है तथा उसके द्वारा दिया गया विवरण सही पाया गया है।
- शाखा परिवर्तन के संबंध में जारी नियमानुसार शाखा से शाखामें शाखा परिवर्तन हेतु पात्र होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन किया जाने की अभिशंका की जाती है / पात्र नहीं होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन संभव नहीं हैं।*

* जो लागू नहीं हैं उसे काट दें।

दिनांक

RajKaj Ref
9695707**Signature valid**

Digitally signed by Anshu Kumar Sahgal
Designation : Director
Date: 2024.08.10 17:56:25 IST
Reason: Approved

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम:कोड.....

सत्र 2024-25 में शाखा परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों का विवरण

| क्र.सं. | एस.पी.एन. नम्बर | अभ्यर्थी का नाम | प्रथम वर्ष | | | वर्तमान शाखा | चाही गई शाखा |
|---------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | अधिकतम अंक | प्राप्तांक | प्रतिशत अंक | | |
| | | | | | | | |

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम:कोड.....

सत्र 2024-25 में नियमानुसार शाखा परिवर्तन का विवरण

| क्र.सं. | एस.पी.एन. नम्बर | अभ्यर्थी का नाम | प्रथम वर्ष के प्रतिशत अंक | वर्तमान शाखा | चाही गई शाखा |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम:कोड.....

शाखा परिवर्तन के पश्चात् शाखावार विद्यार्थियों की स्थिति

| क्र.सं. | शाखा* | प्रवेश क्षमता** | शाखा परिवर्तन से पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या | शाखा परिवर्तन के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या |
|---------|-------|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (कॉलम 3 से अधिक नहीं हो) |
| | | | | |

*शाखा परिवर्तन से प्रभावित हो रही समस्त शाखाओं का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

**प्रथम वर्ष की प्रवेश क्षमता में TFWS के स्थान जोड़ने के उपरान्त संख्या।

प्रमाणित किया जाता है कि सभी आवेदन पत्रों की जाँच कर ली गई है। द्वितीय वर्ष में शाखा परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। शाखा परिवर्तन नियमानुसार किया गया है। सभी आवेदक विद्यार्थियों की डाउनलोडेड अंकतालिका संलग्न है।

हस्ताक्षर
()
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
()
समिति सदस्य

हस्ताक्षर
()
समिति सदस्य

उक्तानुसार शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव निदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं। प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तित शाखा में विद्यार्थियों को अध्ययन की अनुमति दी जायेगी।

RajKaj Ref
9695707

Signature valid

Digitally signed by Anshu Kumar Sahgal
Designation: Director
Date: 2024.08.10 17:56:25 IST
Reason: Approved